

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक-20.09.2019 के द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति पुनरावलोकन द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2) (ए) के अनुरूप ग्रुप-डी-11 में संवर्गित प्रधानाध्यापक नावि एवं समकक्ष पदों की वर्ष 2017-18 की रिव्यू डीपीसी की अभिशंका के आधार पर पूर्व के वर्षों में चयनित कर्मिकों के चयन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/बी-11/प्रधानाध्यापक/रिव्यू डीपीसी/ 2017-18 दिनांक-27.04.2018 द्वारा निरस्त किये जाने के फलस्वरूप 6 कर्मिकों को पदावनत किया जाकर दिनांक-01.10.19 तक संबंधित संयुक्त निदेशक कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त आदेश के निम्नांकित कर्मिकों के उनके नाम के सामने अंकित कॉलम स. 7 के कारण से उनके पदावनति आदेश निरस्त किये जाते हैं:-

क्र. सं.	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता वर्ष	नाम कर्मिक	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान	कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	1221	1992-93	सुरेश कुमार	20.02.1968	रानावि प्रतापपुर श्रीगंगागनगर	अन्य वरिष्ठता 1930/94-95 से प्र0अ0 2017-18 में चयनित होने के कारण
2	2406	1990-91	बृजलाल	10.07.1966	रानावि बारी सीकर	अपील सं. 504/2018 में माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक-09.05.18 को पारित स्थगन आदेश के कारण
3	2417	1990-91	मंगल सिंह	29.11.1966	रा.रुहिया नावि रामगढ शेखावाटी सीकर	अपील सं. 505/2018 में माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक-09.05.18 को पारित स्थगन आदेश के कारण
4	1408	1990-91	रामप्रताप भांभू	16.10.1966	रानावि रामगढिया हनुमानगढ	अन्य वरिष्ठता 2333/94-95 से प्र0अ0 2017-18 में आर.आर में चयनित होने के कारण

उक्त आदेशों में शेष पूर्ववत रहेगा।




(न. ड. ड. ड.)  
आई.ए.ए.ए.  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा-मा/संस्था/बी-11/प्र0अ0 रिपोर्ट/रिव्यू डीपीसी/11-12 से 17-18/2019  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत -

दिनांक 04.10.19

- शासन सचिव-शिक्षा, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभाग) राजस्थान, जयपुर।
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- संबंधित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा को सूचनार्थ।
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक/प्रारंभिक।
- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ।
- संबंधित संस्था प्रधान।
- संबंधित कर्मिक।
- प्रभाग बी-3 को सूचनार्थ।
- रक्षित व संबंधित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(कामिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर